# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :— 1259/2021**

दिनेश कुमार शर्मा **—अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, अलवर (राज.)।

**—प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 16.02.2021
**आदेश की दिनांक** : 08.02.2023

**उपस्थित —**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री डी.पी.शर्मा, अभिभाषक
**प्रत्यर्थीगण की ओर से** : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

**समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

## आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि आलोच्य आदेश दिनांक 19.10.2020 (अनुलग्नक—7) एवं आदेश दिनांक 09.02.2021 (अनुलग्नक—2) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को उसकी प्रथम नियुक्ति दिनांक 08.07.1992 से सेवा की अवधि की गणना करते हुए सभी पारिणामिक लाभ दिए जाने के प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :—

अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर दिनांक 02.07.1992 को हुई थी, जो अनुलग्नक—1 से प्रकट होता है। अपीलार्थी की सेवाएं आदेश दिनांक 15.03.1993 के द्वारा एक वर्ष के लिए बढाई गई थी, जो अनुलग्नक—2 से प्रकट होता है और प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 09.08.1994 के द्वारा अपीलार्थी की सेवाओं को परिवीक्षा काल पूर्ण करने के बाद कन्फर्म किया गया, जो अनुलग्नक—3 से प्रकट होता है। अपीलार्थी ने हमेशा पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से संतोषजनक सेवाएं दी हैं। आदेश दिनांक 05.09.2005 के द्वारा बालहित शिक्षा समिति, अलवर द्वारा 10 वर्ष पूर्ण करने के बाद चयनित वेतनमान का

लाभ दिए जाने का प्रावधान दिनांक 08.07.2002 से किया गया, जो अनुलग्नक–6 से प्रकट होता है। अपीलार्थी को राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के द्वारा आदेश दिनांक 24.06.2011 के तहत राजकीय सेवा के अधीन समायोजित किया गया, जो अनुलग्नक–7 से स्पष्ट होता है। प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा आदेश दिनांक 15.06.2011 के द्वारा चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया, जो अपीलार्थी की नियमित सेवा दिनांक 08.07.1992 से दिया गया है और 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 08.07.2020 से दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दी गई सूचना के आधार पर अपीलार्थी को नियमित नियुक्ति दिनांक 08.07.1992 से की गई है और परिवीक्षा काल पूर्ण होने के बाद दिनांक 01.08.1994 से उसे कन्फर्म किया गया। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 19.10.2020 एवं आदेश दिनांक 09.08.2021 (अनुलग्नक–1 व 2) के द्वारा अपीलार्थी की सेवा दिनांक 01.08.1994 से नियमित मानते हुए द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 01.08.2012 से तथा तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ 01.08.2021 से देय है। अतिरिक्त भुगतान की वसूली करने के निर्देश दिए गए, जो नियम विरूद्ध हैं।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावे और आलोच्य आदेश दिनांक 19.10.2020 एवं आदेश दिनांक 09.08.2021 (अनुलग्नक–1 व 2) को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को समस्त पारिणामिक लाभ दिए जाने के प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की नियमित सेवाएं दिनांक 01.08.1994 से मानी गई हैं। इस प्रकार द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 01.08.2012 व 01.08.2021 से देय आधार पर आवश्यक संशोधन व वसूली कर प्रकरण प्रेषित करने हेतु प्रधानाचार्य को आदेशित किया गया। प्रधानाचार्य द्वारा दिनांक 09.02.2021 के द्वारा वसूली राशि जमा करने हेतु कार्मिक को रसीद/चालान प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति बालहित शिक्षा समिति, अलवर में तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर पूर्णतया अस्थाई नियुक्ति केवल एक वर्ष के लिए हुई थी, जिसकी सेवाएं दिनांक 01.08.1994 से नियमित की गई। राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण सेवा नियम, 2010 के आदेश दिनांक 24.06.2021 के द्वारा अपीलार्थी को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जिलोता, किशनगढ़वास कार्यग्रहण करने हेतु पदस्थापना की गई। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 02.07.1992 में यह स्पष्ट अंकित है कि अपीलार्थी की

नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई रूप से कॉन्ट्रेक्ट आधार पर एक वर्ष (1992–93) के लिए की गई। तत्पश्चात् उसे एक वर्ष (1993–94) के लिए सेवावृद्धि की गई। इस प्रकार अपीलार्थी की सेवाएं नियमित सेवा दिनांक 01.08.1994 से मानी गई। अतः अपीलार्थी की अपील में जिस प्रकार से प्रार्थना की गई है वह स्वीकार करने योग्य नहीं है। अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर दिनांक 02.07.1992 को हुई थी। अपीलार्थी की सेवाएं आदेश दिनांक 15.03.1993 के द्वारा एक वर्ष के लिए बढाई गई थी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 09.08.1994 के द्वारा अपीलार्थी की सेवाओं को परिवीक्षा काल पूर्ण करने के बाद कन्फर्म किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 05.09.2005 के द्वारा अपीलार्थी की सेवा 10 वर्ष पूर्ण होने पर उसे प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 08.07.2002 से प्रदान किया गया एवं आदेश दिनांक 15.06.2012 के द्वारा 18 वर्ष की सेवाएं पूर्ण होने पर द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 08.07.2010 से प्रदान किया गया, जो अनुलग्नक–6 एवं 8 से स्पष्ट होता है। इस प्रकार हमारे विनम्र मत में अनुलग्नक–6 एवं 8 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी से 9–10 वर्ष बाद अधिक भुगतान किये जाने की वसूली का आदेश दिनांक 19.10.2020 एवं 09.02.2021 (अनुलग्नक–1 व 2) जारी किया गया है, जबकि कार्मिक को पूर्व में भुगतान की गई राशि की वसूली किए जाने के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195** के प्रकरण में कार्मिक को भुगतान की गई राशि के सम्बन्ध में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किए हैं :–

***"12. It is not possible to postulate all situations of hardship, which would govern employees on the issue of recovery, where payments have mistakenly been made by the employer, in excess of their entitlement. Be that as it may, based on the decisions referred to herein above, we may, as a ready reference, summarise the following few situations, wherein recoveries by the employers, would be impermissible in law:***

***(i) Recovery from employees belonging to Class-III and Class-IV service (or Group 'C' and Group 'D' service).***

(ii) ***Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.***

(iii) ***Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.***

(iv) ***Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even though he should have rightfully been required to work against an inferior post.***

(v) ***In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee. would be iniquitious or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover."***

यह कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। उन्होने आगे यह भी तर्क दिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195** वाले प्रकरण में यह अवधारित किया है कि इस प्रकार मामलों में वसूली नहीं की जा सकती है। अपीलार्थी ने कभी भी कोई misrepresentation या धोखाधड़ी नहीं की है। इस कारण उसको जो भुगतान किया गया है, वह नियमानुसार किया गया है। उसकी वसूली किया जाना अवैधानिक है। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी किए गए आलोच्य आदेश दिनांक 19.10.2020 एवं 09.02.2021 (अनुलग्नक–1 व 2) विधितः उचित नहीं है। अतः अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा आलोच्य आदेश दिनांक 19.10.2020 एवं 09.02.2021 (अनुलग्नक–1 व 2) को अपीलार्थी की सीमा तक एतद् द्वारा अपास्त किए जाते हैं। अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 24.02.2021 को प्रावकाश (vacate) किया जाता है।

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**